नगरपालिका आम/उप निर्वाचन, 2025

अत्यावश्यक

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार

STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

सत्यमेव जयते

पत्र संख्या -न.नि.50-28/2025 - 3195

प्रेषक,

मुकेश कुमार सिन्हा (भा.प्र.से.)
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार

सेवा में,

जिला दण्डाधिकारी -सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)
पटना।

पटना, दिनांक - 23.7.25

विषय : नगरपालिका आम/उप निर्वाचन, 2025 : नगर पंचायत बिक्रम के नव निर्वाचित पार्षदों/उप मुख्य पार्षद/मुख्य पार्षद को शपथ ग्रहण कराने के संबंध में।

प्रसंग : नगर विकास एवं आवास विभाग का अधिसूचना संख्या 1945 दिनाक 10.07.2025

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नगरपालिका आम निर्वाचन, 2025 के अन्तर्गत नगर पंचायत, बिक्रम का आम निर्वाचन मतदान दिनांक 28.06.2025 को तथा दिनांक 30.06.2025 को मतगणना उपरान्त निर्वाचन संबंधी सभी प्रक्रियाएँ समाप्त हो गई हैं।

प्रासंगिक अधिसूचना द्वारा नव निर्वाचित मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं वार्ड पार्षदों के नाम का प्रकाशन राजकीय गजट में कर दिया गया है, जो आपको पूर्व से संसूचित है।

2. बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (यथा संशोधित) की धारा 15 के अन्तर्गत नगरपालिकाओं के नव निर्वाचित पार्षदों एवं अधिनियम की धारा 24 के अन्तर्गत नगर निगम के नव निर्वाचित मुख्य पार्षदों/उप मुख्य पार्षदों का शपथ-ग्रहण बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (यथासंशोधित) की धारा 35 के अधीन नगरपालिका की पहली बैठक में सम्पन्न किया जाना है।

3. **उक्त परिप्रेक्षेय में आयोग द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नांकित निदेश दिये गये हैं :-**

शपथ-ग्रहण का कार्यक्रम

(क) नगर पंचायत बिक्रम (पटना) के सभी नव निर्वाचित पार्षदों/उप मुख्य पार्षद/मुख्य पार्षद को **दिनांक 22.08.2025 को बैठक आयोजित कर शपथ-ग्रहण की कार्रवाई सम्पन्न की जाय।**

(ख) नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना के पत्रांक 1652 दिनांक 15.05.2012 (पत्र संलग्न) के आलोक में जिला पदाधिकारी द्वारा **शपथ-ग्रहण कराने के लिए जिला में पदस्थापित वरीय उप समाहर्त्ता या उससे ऊपर के पदाधिकारियों को नियुक्त की जायेगी।**

बैठक की सूचना एवं तामिला

पार्षदों/उप मुख्य पार्षद/मुख्य पार्षद को संलग्न **प्रपत्र ''क''** में सूचना देकर शपथ ग्रहण हेतु बुलाई गई बैठक की लिखित सूचना शपथ-ग्रहण कराने वाले पदाधिकारी द्वारा पार्षदों/उप मुख्य पार्षद/मुख्य पार्षद को **पूरे**

सात दिन पूर्व यानि दिनांक 14.08.2025 तक प्रथम बैठक के स्थान, तिथि एवं समय की सूचना तामिला करा दिया जाना बैधानिक अनिवार्यता है। प्रत्येक निर्वाचित प्रतिनिधियों को ससमय सूचना तामिला कराने की पुरी जिम्मेवारी संबंधित पदाधिकारी की होगी।

बैठक की कार्यवाही

(क) बैठक में भाग लेने वाले सभी निर्वाचित पार्षदों/उप मुख्य पार्षद/मुख्य पार्षद की उपस्थिति ली जाएगी तथा **बैठक की कार्यवाही** अंकित की जाएगी जिसमें शपथ ग्रहण/प्रतिज्ञान कराने वाले अधिकृत पदाधिकारी सहित सभी उपस्थित पार्षदों/उप मुख्य पार्षद/मुख्य पार्षद का **हस्ताक्षर** होगा।

(ख) बैठक को प्रारंभ करते हुए संबंधित पदाधिकारी द्वारा संलग्न **'प्रपत्र–ख'** में उपस्थित सभी निर्वाचित पार्षदों को तथा संलग्न **'प्रपत्र–ग'** में उप मुख्य पार्षद/मुख्य पार्षद को शपथ/प्रतिज्ञान करवाया जाएगा।

(ग) उक्त बैठक के लिए अन्य कोई भी मुद्दा विचारणीय नहीं रखा जाएगा।

(घ) शपथ-पत्र को आयोग के वेबसाईट पर उसी दिन अपलोड कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही इसकी सूचना राज्य निर्वाचन आयोग एवं नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार को दी जायेगी।

(ङ) बैठक के दिन व्यापक विधि-व्यवस्था का संधारण किया जाय एवं मिडिया कर्मियों के निमित्त स्थान चिह्नित कर व्यवस्था की जाय।

उक्त परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि तदनुसार कार्रवाई की जाय एवं तत्संबंधी निदेश से सभी संबंधित को अवगत कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक – प्रपत्र-क, प्रपत्र-ख एवं प्रपत्र-ग

विश्वासभाजन,

ह०/ 23/7/25

सचिव।

ज्ञापांक -न.नि.50-28/2025 - 3195 पटना, दिनांक – 23.7.25

प्रतिलिपि, आई.टी.मैनेजर को आयोग के वेबसाईट पर पत्र अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

ह०/ 23/7/25

सचिव।

ज्ञापांक -न.नि.50-28/2025 - 3195 पटना, दिनांक – 23.7.25

प्रतिलिपि, सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ 23/7/25

सचिव।

ज्ञापांक -न.नि.50-28/2025 - 3195 पटना, दिनांक – 23.7.25

प्रतिलिपि, सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ 23/7/25

सचिव।

ज्ञापांक -न.नि.50-28/2025 - 3195 पटना, दिनांक – 23.7.25

प्रतिलिपि, अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार एवं पुलिस महानिदेशक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ 23/7/25

सचिव।

ज्ञापांक -न.नि.50-28/2025 - 3195 पटना, दिनांक – 23.7.25

प्रतिलिपि, मुख्य सचिव, बिहार सरकार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/ 23/7/25

सचिव।

प्रपत्र–क

सेवा में,

श्री/ श्रीमती/ सुश्री .... ,

निर्वाचित पार्षद, वार्ड संख्या ..../ उप मुख्य पार्षद/ मुख्य पार्षद*

नगरपालिका – .... ।

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (यथा संशोधित) की धारा 15 एवं नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 (यथा संशोधित) के नियम 112 के प्रावधानों के तहत् निर्वाचित पार्षदों/ बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (यथा संशोधित) की धारा 24 एवं नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 (यथो संशोधित) के नियम 112 के प्रावधानों के तहत् निर्वाचित उप मुख्य पार्षद/ मुख्य पार्षद* के शपथ ग्रहण हेतु बैठक दिनांक .... को ....बजे पूर्वाह्न में .... में की जाएगी। निर्धारित समय से एक घंटे की अवधि के भीतर नहीं आने पर आपको बैठक में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।

स्थान -.............

दिनांक - ....

शपथ ग्रहण/ प्रतिज्ञान कराने वाले अधिकृत पदाधिकारी

नगरपालिका – ....

---

* जो लागू न हो उसे काट दें।

प्रपत्र–ख

(वार्ड पार्षद के लिए)

(बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-15
एवं बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 का नियम-112)

<u>शपथ/प्रतिज्ञान पत्र</u>

मैं .... , जो .... नगरपालिका क्षेत्र का पार्षद निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता/लेती हूँ और सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता/करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा/रखूँगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला/वाली हूँ, उसके कर्त्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा/करूँगी।

शपथ ग्रहण करने वाले पार्षद
का हस्ताक्षर।

शपथ कराने वाले पदाधिकारी
का हस्ताक्षर एवं पदनाम
मुहर

प्रपत्र–ग

(उप मुख्य पार्षद/मुख्य पार्षद* के लिए)

(बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-24
एवं बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 का नियम-112)

शपथ/प्रतिज्ञान पत्र

मैं .... , जो .... नगरपालिका क्षेत्र का उप मुख्य पार्षद/मुख्य पार्षद निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता/लेती हूँ और सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता/करती हूँ कि जो विषय पीठासीन पदाधिकारी या सशक्त स्थायी समिति के सदस्य के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, तब के सिवाय जबकि अपने कर्तव्यों के सम्यक्, निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा।*

शपथ ग्रहण करने वाले पार्षद
का हस्ताक्षर।

शपथ कराने वाले पदाधिकारी
का हस्ताक्षर एवं पदनाम
मुहर